

समाहरणालय, बक्सर
(राजस्व शाखा)

पत्रांक 03-0756/रा0,

प्रेषक,

समाहर्ता -सह- बन्दोबस्त पदाधिकारी,
बक्सर।

सेवा में,

सभी अंचल अधिकारी,
बक्सर जिला।

बक्सर, दिनांक 27/03/2018

विषय : मुख्य शीर्ष 2029-भू-राजस्व-उप मुख्य शीर्ष-00-लघु शीर्ष-103-भू-अभिलेख-उप शीर्ष-0206-राष्ट्रीय भू-अभिलेख प्रबंधन कार्यक्रम (मांग सं0-40) विपत्र कोड-40-2029001030206, इकाई कोड- 28 02, विषय शीर्ष- संविदा सेवाएँ के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2017-18 में व्यय हेतु कुल 5,50,000/- (पांच लाख पच्चास हजार) रुपये मात्र राशि का उपावंटन।

प्रसंग : निदेशक,भू-अभिलेख एवं परिमाण, बिहार, पटना का पत्रांक-17-आवंटन (योजना-0206) - 254/2017-27 आवंटन दिनांक 13.02.2018.

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के द्वारा मुख्य शीर्ष 2029-भू-राजस्व-उप मुख्य शीर्ष-00-लघु शीर्ष-103-भू-अभिलेख-उप शीर्ष-0206-राष्ट्रीय भू-अभिलेख प्रबंधन कार्यक्रम (मांग सं0-40) विपत्र कोड- 40-2029001030206, इकाई कोड- 28 02, विषय शीर्ष- संविदा सेवाएँ के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2017-18 में भू-अभिलेख के कम्प्यूटराईजेशन (जमाबंदी का डिजिटराईजेशन) में व्यय हेतु कुल 5,50,000/- (पांच लाख पच्चास हजार) रुपये मात्र का आवंटन बक्सर जिला को प्राप्त हुआ है। प्राप्त आवंटन 5,50,000/- (पांच लाख पच्चास हजार) रुपये मात्र को निम्न शर्तों के तहत उपावंटित की जाती है :-

क्र0	अंचल का नाम	उपावंटित राशि	अभ्युक्ति
1	बक्सर	50000.00	
2	चौसा	50000.00	
3	राजपुर	50000.00	
4	इटाढ़ी	50000.00	
5	डुमराँव	50000.00	
6	नावानगर	50000.00	
7	केसठ	50000.00	
8	चौगाई	50000.00	
9	चक्की	50000.00	
10	सिमरी	50000.00	
11	ब्रह्मपुर	50000.00	
	कुल योग:-	550000.00	

2. यह आवंटन वित्त विभाग बिहार पटना के परिपत्र संख्या- 2561 दिनांक 17.04.1998 एवं राज्यादेश संख्या- 687 दिनांक 19.05.2017 के आलोक में किया जा रहा है।
3. अनुरोध है कि व्यय को आवंटन के अन्तर्गत रखते हुए राशि की निकासी की जाय।
4. उपावंटित राशि की मासिक व्यय विवरणी प्रत्येक माह की पाँचवी तारीख तक एवं त्रैमासिक विवरणी नियमित रूप से मुख्यालय को भेजना सुनिश्चित किया जाय।
5. बिहार वित्तीय नियमावली, बजट मैनुअल तथा अन्य सुसंगत प्रावधानों तथा समय-समय पर निर्गत आदेशों का का दृढ़तापूर्वक पालन किया जाय, ताकि व्यय पर वास्तविक रूप से नियंत्रण रखा जा सकें।
6. किसी भी परिस्थिति में आवंटन दिये जाने का अर्थ व्यय की स्वीकृति नहीं समझा जाये तथा भुगतान की औचित्य से पूर्णतः संतुष्ट होने के उपरान्त ही भुगतान की कार्रवाई की जाये। तदनुसार भुगतान सुनिश्चित करना संबंधित पदाधिकारी की व्यक्तिगत जिम्मेवारी होगी।
7. नियमानुसार स्रोत पर अनुमान्य कटौती करना तथा उसके लिए आवश्यक प्रमाण पत्र निर्गत करना संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी/भुगतान करनेवाले पदाधिकारी की जिम्मेवारी होगी।
8. उपर्युक्त उपावंटित राशि के अतिरिक्त राशि की मांग के साथ संबंधित विषय शीर्ष में कुल आवंटित राशि, अद्यतन व्यय, अवशेष राशि एवं अभ्युक्ति अवश्य अंकित की जाय।
9. उपावंटित राशि का भुगतान पूरी छानबीन एवं जाँच पड़ताल के बाद ही किया जाय। कोई छद्मपूर्ण या अनियमित निकासी होती है, तो इसकी पूरी जिम्मेवारी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की होगी।

विश्वासभाजन

Anny
27/03/18

समाहर्ता -सह- बन्दोबस्त पदाधिकारी,
बक्सर।

2. यह आवंटन वित्त विभाग बिहार पटना के परिपत्र संख्या- 2561 दिनांक 17.04.1998 एवं राज्यादेश संख्या- 687 दिनांक 19.05.2017 के आलोक में किया जा रहा है।
3. अनुरोध है कि व्यय को आवंटन के अन्तर्गत रखते हुए राशि की निकासी की जाय।
4. उपावंटित राशि की मासिक व्यय विवरणी प्रत्येक माह की पाँचवी तारीख तक एवं त्रैमासिक विवरणी नियमित रूप से मुख्यालय को भेजना सुनिश्चित किया जाय।
5. बिहार वित्तीय नियमावली, बजट मैनुअल तथा अन्य सुसंगत प्रावधानों तथा समय-समय पर निर्गत आदेशों का का दृढ़तापूर्वक पालन किया जाय, ताकि व्यय पर वास्तविक रूप से नियंत्रण रखा जा सकें।
6. किसी भी परिस्थिति में आवंटन दिये जाने का अर्थ व्यय की स्वीकृति नहीं समझा जाये तथा भुगतान की औचित्य से पूर्णतः संतुष्ट होने के उपरान्त ही भुगतान की कार्रवाई की जाये। तदनुसार भुगतान सुनिश्चित करना संबंधित पदाधिकारी की व्यक्तिगत जिम्मेवारी होगी।
7. नियमानुसार स्रोत पर अनुमान्य कटौती करना तथा उसके लिए आवश्यक प्रमाण पत्र निर्गत करना संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी/भुगतान करनेवाले पदाधिकारी की जिम्मेवारी होगी।
8. उपर्युक्त उपावंटित राशि के अतिरिक्त राशि की मांग के साथ संबंधित विषय शीर्ष में कुल आवंटित राशि, अद्यतन व्यय, अवशेष राशि एवं अभ्युक्ति अवश्य अंकित की जाय।
9. उपावंटित राशि का भुगतान पूरी छानबीन एवं जाँच पड़ताल के बाद ही किया जाय। कोई छद्मपूर्ण या अनियमित निकासी होती है, तो इसकी पूरी जिम्मेवारी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की होगी।

विश्वासभाजन

समाहर्ता -सह- बन्दोबस्त पदाधिकारी,
बक्सर।

ज्ञापांक 03-0756/रा0, दिनांक 27/03/2018

- प्रतिलिपि : वरीय कोषागार पदाधिकारी, बक्सर एवं डुमराँव / जिला जनसम्पर्क पदाधिकारी, बक्सर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
- प्रतिलिपि : डी0आई0ओ0, एन0आई0सी0, बक्सर / आई0टी0 मैनेजर, बक्सर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
- प्रतिलिपि : अनुमण्डल पदाधिकारी, बक्सर एवं डुमराँव / भूमि सुधार उप समाहर्ता, बक्सर एवं डुमराँव को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
- प्रतिलिपि : निदेशक, भू-अभिलेख एवं परिमाण, बिहार पटना की सेवा में सादर सूचनार्थ प्रेषित।

समाहर्ता -सह- बन्दोबस्त पदाधिकारी,
बक्सर।